हरियाणा खेत मज़दूर यूनियन
का
पांचवा सम्मेलन
ऐलनाबाद (जिला- सिरसा) 8-9 अप्रैल, 1983
.....

जनरल सक्रेटरी की
ड्राफ्ट रिपोर्ट ।

साथियो:!:

हमारा चौथा सम्मेलन दिनांक 20-21 मार्च, 1976 टोहाना (हिसार) में हुआ था, इस सम्मेलन में हमने उस समय की खेत मजदूरों की उभरी हुई समस्याओं पर विचार किया था, उस समय देश में एमरजेन्सी लागु थी। प्रधान मन्त्री श्रीमति इन्दरागाधी ने मजदूर वर्ग विशेश तोर से खेत मज़दूरों का एमरजेन्सी के लिये खेत मज़दूरों का समर्थन जुटाने के लिये 20 सुत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी, इन 20 सुत्रों में से सिधे रूप से 6 सुत्र खेत मजदूरों की समस्याओं से सम्बन्धीत अर्थात:

1- खेत मज़दूरों के लिये न्युनतम मज़दूरी,

2- आबादी पलाट देना,

3- कर्जा माफी,

4- बन्धवा मज़दूरी उन्मूलन,

5- भुमी सुधार लागु करना,

6- सार्वजनिक वितरण प्रणाली गांव में भी लागु करना आदि ।

एमरजेन्सी के पहले चरण में खेत मज़दूरों में आशा की किरण जागी और खेत मज़दूरों में, आबादी पलाट, कर्जा-मुआफी आदि सूहलतों को प्राप्त करने के लिये जब आगे आने लगे तो गांव के बडे-भु-स्वामियों एंव सामन्ती विचार रखनेवाले लोगों ने खेत मज़दूरों का डट कर विरोध किया । कांग्रेस (ई) के किसान और साहूकारा करने वाले लोगों ने मज़दूरों पर जुल्म किये, समाजिक बाईकाट किये और सरकारी मशीनरी व अफसर शाही ने भी साहुकारा व सामन्ती किसानों का साथ दिया धिरे-2 एमरजेन्सी के खेत मज़दूरों वाले 6 सुत्र भूला दिये गये और खेत मज़दूरों को 20 सुत्री कार्यक्रम के स्थान पर संजय गाधी के 5 सुत्रों का कार्यक्रम में जबरदस्ती नसबन्दी वाला सुत्र सख्ती से खेत मज़दूरों पर लागू कर दिया गया । जिससे 20 सुत्री कार्यक्रम के तहत मिली खेत मज़दूरों को राहतें एंव कार्यक्रम महज कागजी कार्यवाही बन रह गये ।

---2---

हमारी युनियन ने खेत मज़दुरों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक व समाजिक सहायता दिलवाने के लिये गावों की पद-यात्रा की, गावों में पब्लीक मिटीगज व जलुस किये ताकि खेत मज़दुरों को आबादी पलाट लेने के लिये आगे लाया जा सके, कर्जा मुआफी के लिये प्रार्थना-पत्र दें, हरियाणा में खेत मज़दुरों की न्युनतम मज़दुरी बढ़ाई जावे और बन्धावा मज़दुरो को छुड़वाने के लिये खेत-मजदुरों में जनमत तैयार किया । जिन गावों में हमारी युनियन थी/ब्रांच थी/ केवल उन्हीं गावो में खेत मज़दुरो को आबादी पलाट व कर्जा मुआफी की राहत हो सकी है । किन्तु, हरियाणा के बहुत ज्यादा गावों में 20-सुत्री कार्यक्रम से खेत मज़दुरों को तनिक भी लाभ नहीं हुआ है । समस्या ज्यों की त्यों है ।

न्युनतम मज़दूरी बारे ।

हरियाणा सरकार ने 1-5-1982 के गज़ट नोटिफिकेशन के द्वारा खेत मज़दुरो का न्युनतम वेतन निम्नलिखित किया है:-

1-	आम मजदुर जिसमें हौल बनाना खाद डालना व सिंचाई करना शामील है ।	10 रुपये खाने सहित या 14 रु० बिना खाने प्रति दिन
2-	घास चुगाई	1/15 भाग जो घास चुनी गई, या 30 पैसे प्रति किलो जो घास चुनी ।
3-	मिर्च चुगाई	1/10 भाग जो मिर्च चुगाई गई ।
4-	गहाई व नलाई	10 रूपये खाना सहित या 14 रु० बिना खाने प्रति दिन ।
5-	सिंचाई करना	-उक्त-
6-	जीरी व धान लगवाई	-उक्त-
7-	गेहूँ, बाज़रा आदि की कटाई	1/15 भाग जो गेहूँ व बाज़रा काटा है या उसके बराबर किमत ।
8-	जीरी निकलवाई	8 किलो जीरी प्रति क्विन्टल जो जीरी निकालती है ।
9-	गेहूं निकालना	12 रूपये खाना सहित या 16 रूपये खाने बीर प्रति दिन ।
10-	लोहार, बढ़ई	16 रूपये खाने सहित या 20 रूपये बिना खाना प्रतिदिन ।
11-	ट्रैक्टर ड्राईवर	500 रूपये प्रति माह ।
12-	मुंगफली निकलवाई	10 रूपये खाना सहित या 14 रु० बिना खाने प्रति दिन ।

13-	साल भर के लिये	2600 रूपये खाना सहित एक वर्ष के लिये या उपज का 1/4 भाग ।
14-	अनाज व भुसा की भराई लदाई व इकट्ठा करना	6 किलो प्रति क्विन्टल अनाज व भुसा जो भरा, इकठा, या लादा गया है ।
15-	शक्कर बनाने के लिये	3 किलो प्रति क्विन्टल जो गुड़ या शक्कर बनाई है ।
16-	ट्युब-वेल आपरेटर	450/- रू0 मासिक
17-	पाली	150 रूपये प्रति माह समेत खाना ।
18-	हाली	10 रूपये खाना सहित या 16 रूपये खाने बगैर प्रतिदिन ।

यहां यह बात उल्लेखनीय है कि कृषि को सरकार ने उद्योग मान रखा है । जिका मतलब है उद्योगों पर लागु होने वाले सभी आम कानुन/नियम खेत मज़दुरो के लिये लागू है । किन्तु हरियाणा जैसे समाजिक तौर पर पिछड़े दिहात में न्युनतम मज़दुरी व अन्य कानुनों को खेत मज़दुरो की भलाई के लिये लागू करना के लिये सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया यहां तक खेत मज़दुरो को इस बारे पता तक नहीं है केवल जहां हमारी युनियन है वहीं पर खेत मज़दुरो के लिये बकाया मज़दुरी की लड़ाई लड़ी गई वरना सारे हरियाणा में रिवाजन भू-स्वामियों द्वारा निर्धारित मज़दुरी खेत मज़दुरो को मिलती है ।

भूमी-सुधार

यह कहना गलत होगा कि हरियाणा में भूमी सुधार की अब जरुरत ना है । असले हरियाणा में भूमी सुधार के नाम पर सरकार की अफसर-शाही किसानों व मजदुरो को लूट रही है । यहां तक की कांग्रेस (ई) के मन्त्री बड़े किसानों की जमीन सरपलस से छुड़वाने के हथियार को राजनैतिक तौर पर प्रयोग कर रहे है । पिछले वर्षों में जो भी हरियाणा में भूमी हद-बन्दी के लिये कानून बने है एक दुसरे के बाद इसी उद्देश्य से बनाये गये है, ताकि बड़े-भू-स्वामि अपनी सरपलस भूमी को बचा सकें, परिवार की परिभाषा बदलदी, धार्मिक संस्थाओं को छुट देना, अलाटियों के कब्जे भाल रखने के लिये उचित कानून की व्यवस्था ना होना । सहायक कलैक्टरों एंव कलैक्टरो को इतने व्यापक अधिकार दे देना कि किसी भी भू-स्वामी की सरपलस भूमी को किसी भी समय सरपलस पुल से मुक्त करार दे देना आदि । जो कुछ अलाटी बने हुये है, वह केवल कागजों में अलाटी है, मौके पर अलाटीयों का कब्जा नहीं है । सरकार अलाटीयों की कोई इमदाद करने

के लिये तैयार नहीं है । जिला जीन्द में ऐसे असामियों की संख्या के लिये 75 प्रतिशत है ।

भूमी सुधार की परिभाषा केवल हद बन्दी कानून से प्राप्त होने वाली जमीन तक समिति ना है बल्कि उन सभी किस्म की जमीन जो काबले काश्त है जिस पर काश्त की जा सकती है । कस्टोडियन विभाग से प्राप्त ज़मीन, वैक्फ बोर्ड की जमीन जो कोई काश्त के लिये सालाना पट्टे पर देता है, सरकारी अन्य भूमी जो सरकार प्रति वर्ष पट्टे पर देती है, बंजर व वन-विभाग की ज़मीन जो काबले काश्त है आदि प्रकार की भूमी को भी लोगों में बांटना चाहिये, किन्तु सरकारी पदों पर आसीन मन्त्री व अफसर-शाही ने ऐसी जमीनों पर मामूली पट्टों के नाम से कब्जे कर रखे है ।

श्री हरपाल सिंह मन्त्री, हरियाणा सरकार ने अपने परिवार के लोगों के नाम से कस्टोडियन व वैक्फ बोर्ड की जमीन पर कबजा कर रखा है, इसी प्रकार से कस्टोडियन की जमीन की बोली दे कर कुछ लोग जमीन हथिया रहे रहे है । यदि कहीं पर गरीब मज़दूरों ने इस प्रकार की कस्टोडियन व वक्फ-बोर्ड की जमीन पट्टे पर ले भी रखी है वहां पर बा-असर कांग्रेस {इ} व लठधारी लोगों ने जबरदस्ती कब्जे कर लिये है ।

<u>आबादी-पलाट व आवास समस्या</u> ।

आबादी पलाट तमाम हरियाणा में अब तक नहीं मिले मिल सके, जहां कहीं मिले है तो उन की निशान देही व रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुई, केवल पलाट मिलने पर खेत मज़दूर अपना रिहाईशी मकान बनाने के लिये क्षमता नहीं रखता । सरकार ने जो भी हरिजन कालोनी के नाम से स्कीम चालू की थी वह बूरी तरह से नाकामयाब रहीं मकान बनाने के लिये कर्ज व अनुदान सहायता नामात्र की है । जिसके कारण देहात में मज़दूरों के सामने आवास समस्या है ।

<u>कर्जा का बोझ</u> ।

खेत मजदूरों पर पुराने कर्जों का बोझ है । दि हरियाणा कृषिऋण-मुक्ति कानून 1976 के तहत हरियाणा में एक भी खेत-मजदूर को लाभ नहीं हुआ । केवल कहने के लिये यह कानून है इस पर कोई भी अमल नहीं हुआ है । खेत-मजदूरों ने जो भी कुछ ऋण सहकारी समितियां द्वारा या नम्-

बन्दी कराकर लिया था वह बे-रोजगार व गरीबी के कारण वापिस नहीं कर सकी और भविष्य में कर्जदार होने की वजह से खेत-मजदूरों को सभी ऋण-सुविधाएं बन्द हो गई है ।

बन्धवा मज़दूरी :

हरियाणा में बन्धवा मज़दूरी की लानत अब भी जारी है । पहिले तो हरियाणा सरकार यह सचाई मानने से साफ इनकार करती थी, किन्तु सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हरियाणा के पत्थर खान मज़दूर व इन्ट भट्ठों पर काम करने वालों के बाद हरियाणा सरकार की आखें खुल जानी चाहिये कि बन्धवा मज़दूरी किसे कहते है । हरियाणा में खेत-मजदूर, इन्ट-भट्ठा-मजदूर, खानों में काम करने वाले मजदूर जो ठेकेदारी प्रथा के अनुसार एडवांस रकम लेकर काम करते है उन सब के साथ बन्धवा मजदूरी जैसा व्यवहार होता है ।

खेत-मज़दूरों में बढती हुई बे-रोजगारी एवं रोज़गार की समस्या ।

खेत-मजदूरो में बेरोजगारी बढती जा रही है । दूसरी ओर सीमान्त छोटा किसान खेत मजदूर बन रहा है इस लिये खेत मजदूरों की संख्या बढती जा रही है । मजदूरों को वर्ष भर काम नहीं मिलता । वर्ष में बड़ी मुश्किल से 200 दिन काम मिलता है। मजदूरी की वास्तिव मजदूरी, महगाई व रूपये की किमत घटने की वजह से लगातार कम होती जा रही है।

गावों में दस्तकारी के धन्धो कपडा बुनना, जुती आदि का काम उद्योग में पुजीवादी उत्पादन व प्रगति की वजह से खत्म हो गया है। यदि कोई-मजदुर अपना कोई छोटा कारोबार खोलना भी चाहे तो मज़दुरो के लिये समुचित ऋण व्यवस्था व कच्चा माल का न मिलना व उसको मार्किट में बेचने की कठिनाई की वजह से कामयाब नहीं है। यदि कोई खेत-मजदुरों का बच्चा शिक्षा प्राप्त कर भी लेता है या किसी नौकरी के लिये प्रार्थना पत्र देता है तो नौकरी प्राप्त करने के लिये रिश्वत खोरी जोरों पर है, गरीब रिशावत नहीं दे पाता है जिस कारण नौकरी नहीं मिल पाती। रिजर्वेशन का कोटा पुरा नहीं किया जाता है। पिछडी श्रेणियों की रीजर्वेशन की प्रतिशत बड़ी कम है । शिक्षा प्रणाली मंहगी है जिस कारण गरीब खेत-मजदुर अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते ।

बढ़ती हुई महगाई :

महगाई लगातार बढ़ रही है, खेत-मजदूरों को एक ओर तो कम मजदूरी मिलती है दूसरी ओर महगा खरीद करना पड़ता है जिसके कारण खेत मजदूरों का जीवन-स्तर लगातार गिरता जा रहा है। ऐसी हालत में रायती दरों पर खेत मजदूरों को जीवननो-उपयोगी ~~वस्तुओं~~ वस्तुये मिलनी चाहिये, किन्तु गावों में सार्वजनिक वितरण-प्रणाली का आभाव होने के कारण खेत-मजदूरों को इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

समाजिक न्याय व समाजिक अत्याचार :

आजादी के लगभग 36 वर्ष के बाद भी खेत मजदूरों को समाजिक न्याय नहीं मिलहै । गावों में उसी प्रकार से खेत मजदूरों के प्रति छुआ-छूत और घृणा का वातावरण है, सरकार ने इस समाजिक अन्तर को मिटाने के लिये लिये कोई कारगर कदम नहीं उठाया जो कुछ कानुन बने भी है । वह अमल में नहीं है, खेत-मजदूरों की औरतो के साथ बलात्कार, कतल की घटनायें बढ़ती जा रही है। छोटी-2 बातों पर गावों में हरिजनों का समाजिक बाईकाट हो जाता है । कानुनी न्याय मिलने के लिये सरकार को मुफ्त कानुनी सहायता का नियम बनाया तो है किन्तु अमल में कुछ भी नहीं है ।

काम की रिपोर्ट :

खेत-मजदूरो की उपरोक्त समस्यायें बहुत पुरानी है। हरियाणा खेत-मजदुर ने अपने केन्द्रीय संगठन भारतीये खेत-मजदुर युनियन की रहनुमाई में, इस दिशा में कई संघर्ष किये है । इस अवधि में के केन्दर स्तर के भारतीय खेत-मजदुर युनियन के अहवान पर चार प्रोग्राम हुये है ।
20 मार्च, 1979 को भारतीय खेत-मजदुर युनयिन की अगवाई में संसद-भवन पर खेत मजदूरों ने भारी एतिहासीक प्रदर्शन किया, इस प्रदर्शन की तैयारी में कुरुक्षेत्र, अम्बाला, जीन्द, सोनीपत, हिसार, सिरसा में खेत मजदूरो ने भारी पबलीक मिटींग की । 15मार्च को का0 राजेन्दर राव, जनरल सेक्रेटरी, भारतिय कमुनिस्ट पार्टी व मजदुर युनियन ने हरियाणा का दोरा किया और खेत मजदूरों की पबलीक मिटींग गनौर, जीन्द, हासी में सम्बोधित की, हरियाणा से इस प्रदर्शन में लगभग पांच हजार खेत-मजदुरो ने भाग लिया। 23 अक्टूबर, 1979

---7---

मजदूरों एवं केन्द्रीय कानून के लिये खेत-मजदूरों का अखिल भारतीय सम्मेलन नई-देहली में हुआ । जिस में हरियाणा खेत-मजदूर का समूचित डेलीगेशन शामिल हुआ था । 26 मार्च, 1981 को खेत-मजदूरों व किसानों का ... प्रदर्शन और 4 अक्टूबर, 1982 के शान्ती मार्च में हरियाणा के खेत-मजदूरों ने बढ़-चढ कर भाग लिया। राज्य स्तर के चण्डीगढ़ मार्च 30 सितम्बर, 1980 में खेत मजदूरों की काफी संख्या थी ।

1976 में जीन्द जिले के सुदकैन कला, कुराड और दोबी गावों में हरिजनों के सोशल-बाईकाट हुये थे, किन्तु जीन्द जिला खेत-मजदूर युनियन ने बडी निपुणता से यह समाजिक बाईकाट खत्म करवाये हैं। जिससे खेत-मजदूरों में युनियन का प्रभाव बढ़ा है ।

जिला जीन्द में युनियन के प्रभाव को रोकने के लिये भू-स्वामियों जो सामन्ती विचार रखते है मेरे उपर 8 अगस्त, 79 को पुलिस द्वारा दुरव्यवहार व पिटाने की योजना बनवाई थी । जिस पर नरवाना में 24 अगस्त को लगभग 4-5 हजार खेत-मजदूरों ने प्रदर्शन किया था जिस पर पुलिस ने मुआफी मागनी पडी थी ।

जिला कुरूक्षेत्र व करनाल के कई गावों में भी हरिजनों के सोशल बाईकाट हुये थे। गाव भाना जिला कुरूक्षेत्र में मजदूरों का बाईकाट हुआ था जो वहा की युनियन ने उसका ठीक ढंग से निपटारा करवा दिया था । गाव कलेर के मजदूरों के मकानों की लडाई वहा की युनियन ठीक ढंग से लड रही है ।

जून, 1981 में युनियन ने नरवाना (जीन्द) सिरसा, यमुना-नगर (अम्बाला) कुरूक्षेत्र, रतिया (हिसार) खेत-मजदूरों की मागों पर प्रदर्शन किये 10 हजार खेत-मजदूरों के अगुठे व हस्ताक्षर माग पत्र पर करवाये यह माग पत्र 5-अक्टूबर, 81 को हरियाणा के राज्यपाल को युनियन के प्रतिनिधि मण्डल ने पेश किया और हरियाणा में खेत मजदूरों की दशा व मागों से राज्यपाल को आवगत कराया ।

गाव धिडाना (जीन्द) में मास्टर मनसव का कत्ल वहा के भू-स्वामी के पुत्र लीला व सुरजभान ने अपने सहयोगी पाली की इमदाद से 15 जुलाई, 81 कर दिया था । जिसकी सुचना मिलते ही फौरन मैं व का0 मकान सिंह गाव धिडाना गये । 27 जुलाई को गाव धिडाना में मा0 मनसव के बारे शोक सभा हुई। और 15 अगस्त को जीन्द में लगभग 15 हजार खेत-मजदूरों ने रैली में भाग लिया। युनियन के इस प्रकार विरोध के कारण तीनों अभियुक्तों की

कली सज़ा हुई ।

10 नवम्बर,82 में नरवाना (जीन्द) व कुरुक्षेत्र में खेत-मजदुरो ने धारने दिये ।

सारे हरियाणा में 20 दिसम्बर से 27 दिसम्बर तक खेत-मजदुरों की मांगों पर सप्ताह मनाया गया । और सप्ताह के अन्तिम दिन 27 दिसम्बर को यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, नरवाना, सफिदो, हिसार, सिरसा में सरकारी दफ्तरो के सामने खेत-मजदुरो ने धारना दिया ।

<u>संगठनात्मक रिपोर्ट :</u>

युनियन का संगठन पहले से कमज़ोर हुआ है । इस का कारण युनियन में जो होलटाईमर देसराज को लगाया था वह अपनी नीजी आर्थिक व समाजिक कठिनाईयों की वजह से नहीं चल सका, दुसरे युनियन की आर्थिक- स्तिथ ति भी इतनी अच्छी नहीं है। कि वह किसी होल-टाईमर की पुरी वेज दे सके । किसी ~~00000000000~~ प्रकार जिलास्तर पर केवल कुरुक्षेत्र को छोड कर शेष जिलों में इस फ्रन्ट पर कोई होल-टाईमर ना है। अब पिछले एक वर्ष से करनाल जिले में इस फ्रन्ट पर एक साथी को होल टाईमर लगाया है, शेष जिलों में कोई होल-टाईमर ना है।

जिला स्तर में पार्ट-टाईम करने वाले साथी भी इस फ्रन्ट पर लगातार काम नहीं करते और वह कभी किसी फ्रन्ट पर काम करते और कभी दुसरे फ्रन्ट पर काम करते है। युनियन का जिला स्तर व राज्य-स्तर अपना फण्ड इकट्ठा करने का कोई कारगर उपाये नहीं है ।

युनियन राज्य-कौन्सिल का कोरम कभी पुरा नहीं होता जिसके कारण युनियन ठीक फैसले लेने व लागू करने में असमर्थ रही है ।

युनियन की सदस्यता भी घटी है । अब तक जो राशी जमा हुई है: कुरुक्षेत्र - 2000, जीन्द 1200, करनाल 1300 हिसार 350, सिरसा
कुल : सदस्यता है। वास्तव में राज्य व जिला लिडरशिप ने इस और ध्यान ही नहीं दिया है ।

फण्ड

युनियन के फण्ड में केवल 76 रुपये बाकी है। युनियन के पास केवल सदस्यता फिस केवल 10 पैसे प्रति सदस्य की दर से आती है। जो साल भर में 400/500 रुपये होती है। ऐसी आर्थिक स्थिति में युनियन को चलाना कठिन है। हमने युनियन का फण्ड जुटाना पडेगा।

आगामी कार्य-क्रम :

1- देहातों में फैले इतने असंगठित खेत-मजदुरों को हमने संगठित करना होगा, विशेष रूप से गावों की युनिट को महत्व देना होगा।

2- खेत-मजदुरों में अज्ञानता बहुत अधिक है। अब तक इनमें जाती-पाति का बोल-बाला है। इन्हे भी युनियन संगठन में जोडने के लिये खेत-मजदुरों के स्कूल लगाने होंगे।

3- इस फ्रन्ट पर काम करने वाले अच्छे ईमानदार कार्य-कर्ताओं का चयन करना होगा।

4- इस फ्रन्ट पर खेत-मजदुर युनियन के लिये फण्ड इकठा करने की व्यवस्था करनी होगी।।

5- खेत-मजदुर युनियन का कार्य एटक की भावनती होना चाहिये।

6- युनियन की मिटींगों में हाजरी निश्चीत रूप से होनी चाहिये। राज्य-कौनसिल 21 सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

7- युनियन फ्रन्ट पर अलग से जिला व राज्य स्तर पर होल-टाईमर का प्रबन्ध होना लाजमी है।

युनियन ने आने वाले समय में अपना संगठन को निम्नलिखित मांगों के लिये संघर्ष करना होगा :

1- न्युनतम मजदुरी कानुन को कृषि, पी-डब्लु-डी, वन विभाग, इन्ट-भट्ठा उद्योग में लागु करने के व पुनःनिर्धारण के लिये,

2- खेत-मजदुरों के लिये व्यापक केन्द्रीय कानुन बनवाने के लिये,

3

3- समाजिक अत्याचार की घटनाओं का डट कर विरोध करना । ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये विशेष दल की माग करना ।

4- बे-रोजगारी को खत्म करने के लिये रोजगार गारन्टी स्कीम शुरू करना व बे-रोजगारी भत्ता 50 रुपये मासिक होना चाहिये । काम के बदले अनाज स्कीम पुन: चालू कराने के लिये कदम उठाया ।

5- 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के खेत-मजदूरों को 100 रुपये मासिक बुढापा पेन्शन के लिये,

6- भूमी सुधार कानून में संशोधन करना, विस्तृत तौर से भूमी सुधार लागु करना, भूमी चोरी के लिये जाच कमीशन नियुक्त करना, अलाटियों के कब्जे भाल करने की जिम्मेदारी सरकार खुद ले ।

7- खेत-मजदूरों के लिये व्यापक आवास समस्या का समाधान करना, जहां आबादी प्लाट नहीं मिले, वहां आबादी प्लाट दिलवाना, इन प्लाटों पर मकान बनाने के लिये 4 प्रतिशत दर का कर्जा दिलवाना ।

8- खेत-मजदूरों के सरकारी व नीजी कर्जे मुआफ करना, हरियाणा खेत मजदूर कर्जा मुक्त कानून, 1976 को लागु कराया जावे।

9- खेत-मजदूरों के मजदूरी सम्बन्धी मामलों में पुलिस दखलान्दाजी रोकी जावे।

10- खेत मजदूरों के लिये कर्जा निति अलग से बनाई जावे, जो उत्पादक व रोजगार देनी वाली हो ।

11- प्रत्येक गांव में जीवनोपयोगी वस्तुओं के लिये डिपु खोलने चाहिये, खेत-मजदुरों को अलग तौर पर राशन कार्ड दिये जावे और रीयाईती दरों पर कुल वस्तुयें दी जावे।

12- हरिजन व पिछडी श्रेणी की मिली नौकरियों में रिजर्वेशन के लिये ।

13- खेत-मजदूरों के झगडों को निबटाने के लिये प्रत्येक जिला स्तर पर से एक लेबर आफिसर लगाया जावे।

14— खेत-मजदूरों के लिये सामाजिक व कानूनी समानता के लिये संघर्ष करना आदि ।

रिपोर्ट मैंने अनेक जानकारी के मुताबिक लिखी है, क्योंकि जिलों की ओर से कोई लिखित रिपोर्ट नहीं मिली, जिसके कारण इस रिपोर्ट में कई काम व सुझाव रह गये होंगे । डेलीगेट साथियों से प्रार्थना है कि वह बहस में अच्छे सुझाव देकर रिपोर्ट और अच्छी बनायेंगे और रिपोर्ट को सर्व-सम्मति से पास करेंगे ।

समाप्त

खेत-मजदूर-युनियन जिन्दाबाद ।

भारतीय खेत-मजदूर-युनियन जिन्दाबाद ।

इन्कलाब जिन्दाबाद ।

किसान-मजदूर-एकता जिन्दाबाद ।